

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 3.7.15

बैठक सूचना

निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा भरतपुर जिले में दिनांक 10 जुलाई, 2015 को विभाग की सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। उक्त दौरे में निम्नानुसार अधिकारी भी सम्मिलित होंगे :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/प्रतिनिधि।
- 3 आयुक्त, महानरेगा/प्रतिनिधि।
- 4 शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
- 5 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 6 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 7 श्री राजेन्द्र शेखर भक्कड़, अति. आयुक्त व संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन-2)।
- 8 निदेशक, सीसीडीयू, पंचायतीराज।
- 9 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
- 11 जिला प्रभारी, भरतपुर

जिले में बैठक कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

जिले में कार्यक्रम :- 10 जुलाई, 2015

क. सं.	समय	स्थान	प्रतिभागी	एजेण्डा
1	10.00 बजे से 2:00 बजे तक	बैठक कक्ष जिला परिषद, भरतपुर	माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, माननीय जिला प्रमुख, माननीय प्रधानगण (समस्त), जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिले के समस्त योजना प्रभारी एवं विकास अधिकारीगण (भरतपुर जिला) एवं हस्तान्तरित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं महिला बाल विकास तथा लाइन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, जिनके द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के योजनाओं की प्रगति पर चर्चा
2	2.00 बजे से 3.00 बजे तक		लंच ब्रेक	
3	3.00 बजे से 6.00 बजे तक		मा0 मंत्री महोदय के निर्देशानुसार फील्ड विजिट	

उक्त बैठक का आयोजन, समन्वय, बैठक कार्यवाही विवरण एवं दौरे की पूर्ण रिपोर्ट आदि तैयार करने का दायित्व जिला प्रभारी, भरतपुर का होगा।

भवदीय  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)

P.T.O.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
- 7 निजी सचिव, आयुक्त महानरेगा।
- 8 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 9 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 10 निदेशक, सीसीडीयू, पंचायतीराज।
- 11 अति. आयुक्त व संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन-2)।
- 12 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 13 संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग), पंचायतीराज।
- 14 जिला कलक्टर, भरतपुर
- 15 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने स्तर से जिले के माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण महोदय, जिला प्रमुख महोदय एवं प्रधानगण साथ ही पॉच हस्तान्तरित विभागों के चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग तथा लाइन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, जिनके द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, को भी बैठक में भाग लेने हेतु अवगत करवायेगें। साथ ही जिले के समस्त योजना प्रभारी एवं विकास अधिकारियों को बैठक में योजनाओं की पूर्ण तैयारी के साथ भाग लेने हेतु सुनिश्चित करवायेगे, तथा बैठक हेतु आवश्यक सूचनाएं तैयार करेगें एवं बैठक आयोजन संबंधी समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।
- 16 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
- 17 जिला प्रभारी, मुख्यालय, भरतपुर।
- 18 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)